परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान -- नथुवाखान --प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30.4

ग्राम– लोश्ज्ञानी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	
1-	AETSC ETH THIN	and the second s
2-	21.51-2 42116	7451-2 GAUZ
3-	trat antm	2400205100
Ч-	- Unic 7 allon	-uno on g
5-	मनीय नह	And 9 - gik mi
c6.	ERTY John	ELEM THE
S.	yety the	uator the
$\zeta'$	N N	
They was	Charly Idec	4117-11400
(4)	्रतात् जिर्	तारासिंह.
(0)	ावेष्ण्य दिन्हें	MAJTY THE
(11)	EVUT - TF	abod - 17
(12)	Etan 2111	Spring .
(13)	~ाजेन्द्र अजाद	1 Alary
CIUI	TTTG OUTM	B-SC MIT
061	Therefore	रमेशाच्यान्त्
(16)	×16 9.000	20139114
[1]	224771250	Thupol
(18)	12-Jan 146	DINGEN SINGH.
(19)	6417 a \$1 - 1 - 7	is platalate
00	Color Tans	11 1
GN	Strop of	
22	UT-AILA B	Prace E
22	a allonim	324RTh
	Charlenter	OP OPPINIE W
24-	1 divine	JEIUNE
20	- a stat	FAT-LATIK
	- C g l l'e	बिलिशिम
of.	armith	
	1	
		La
/		रमापिट
L	A FIELD N	ह0/- प्रयान
AC	वजायत 04[2]रा.नी पचायत 04[2]रा.नी	गाम प्रधाननावत लोगसाम
ग्राम	पचायत	নি তথি হাম্পাই (বিদীয
Gre	, ८. रामगढ़ (तनाताला)	ि लिस इंडेक्ट्रे हे कुलुस्य

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान -- नथुवाखान --प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नामः-कोश्वार्शानी तहसील जीताल जिला नैनीताल

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्यूडा–क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 मे नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.936 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.936 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लोशज्ञानी द्वारा दिनांक 19222019....को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लोश्ज्ञानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मुहरे सहित रामगढ़ (नैनीताल)

क्स दंशायत मांगजानी कहीत र डिंह - अंगल भ

प्रधान ग्राम ह**ंव्ययत लोगज्ञानी** ग्राम प्रधान **श्रास्त्व**च(नैनीताल) मुहर सहित

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ मे लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्यूडा–क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 मे नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तेन्त्रताल अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, त्रित्तिताल

उपखण्ड कोश्यॉ—कुटोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्यूडा—क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.936 हे० सिविल एवं सोयम (वंजर) भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात (कुल 0.936 हे० वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक भिन्<mark>य अधिकारों कि सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः</mark>—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **पिन्छेद कुम्हार** –, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1– श्री – जिन्हे – उपजिलाधिकारी – देवना क्य अध्यक्ष अन्याय वनाधि

-उपजिलाधिकारी 371 ale केन प्रभाग उप प्रभागीय वनाधिकारी-श्री 2-Sh AC 2000 -सहायक समाज कल्याण अधिकारी राषठ К श्री -सदस्य सचिव 3-222 भार-बी०डी०सी० क्षेत्र - 01213117 01210 श्री 4-IL A TRISSICIL

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमान से बैद्ध जोगा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लक्ष्माखान– नथुवाखान–प्यूडा–क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 मे नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्भव सोदरगान जिट्टा गन निर्माण हेतु 0.936 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, दिलान होते दारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्मीखान—नथुवाखान—प्यूडा—क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अध्यक्ष 170 उपखण्ड स्तिरिय पन अधिकार समिति तहसीली तौसी ताल

जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

उप जिल्लेधिकारी।/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय **वन्त्रभूषि**कार समिति तहसील– नेनीताल जनपद– नैनीताल

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान -- नथुवाखान --प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतू।

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No----

# Dated-14/03/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.936 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital** (name of user agency) for **Construction of Nawli Namak Sthan Se Loshgyani Tak Samperk Motar Road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Lweshgyani** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.936** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to....annexure......
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ मे लक्ष्मीखान–नथुवाखान–प्यूडा–क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 मे नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतू।

#### FORM-II

# (for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital No--- Dated-14103 2019

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.936 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginer, Construction Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Nawli Namak Sthan Se Loshgyani Tak Samperk Motar Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Lweshgyani village (s) in Nainital tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.936 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Lweshal** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:As,above.

Signature 4'03' 19 (Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :-- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्यूडा–क्वारव मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में नावली नामक स्थान से लोश्ज्ञानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेत्।

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss.V:K: SumarI.A.S deputy commissioner, Nainital on dated 4:03:19.... at time 2:00 Noon...at NormarI.A.S which application claiming rights in Lweshghani area measuring 0.936 hect for the **Construction of Nawli Namak Sthan Se Loshgyani Tak Samperk Motar Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Nainital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital Dated: 1.4. 03 019

4.03/19 Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe লাগন